



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस. की धारा 482 के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 3986 वर्ष 2026

शोएब @ भूरा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : हया रिज़वी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : आशीष पाण्डेय, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता सुश्री हया रिज़वी, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री वर्षा सिंह तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 343 वर्ष 2025, धारा 352, 351(2), 74, 75 भारतीय न्याय संहिता, एवं धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम, थाना रमाला, जनपद बागपत में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से कोई सरोकार नहीं है तथा उसने अभियोजन द्वारा आरोपित कोई अपराध कारित नहीं किया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि विवेचना के दौरान अभिलिखित अपने कथनों में पीड़िता ने कहा है कि आवेदक ने उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, किन्तु वास्तव में आवेदक एवं पीड़िता एक-दूसरे से प्रेम करते हैं तथा उसने अपने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माता-पिता के दबाव में आकर आवेदक के विरुद्ध ऐसे कथन दिए हैं। आगे प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान प्रकरण के अतिरिक्त आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 19.01.2026 को आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, अतः आवेदक से अभिरक्षा में पूछताछ किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। आगे प्रस्तुत किया गया कि उपर्युक्त प्रकरण में आवेदक को किसी भी समय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की आशंका है, जबकि उसके विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य, (2020) 5 एससीसी 1** में इस विषय पर विधि को अंतिम रूप से यह प्रतिपादित करते हुए निर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत अनिवार्य रूप से सीमित अवधि के लिए ही प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं है। उपर्युक्त प्रकरण में यह विचारण की समाप्ति तक प्रभावी रह सकती है। यह भी प्रतिपादित किया गया है कि अभियुक्त के आचरण एवं व्यवहार के आधार पर प्रदान की गई अग्रिम जमानत, आरोप-पत्र प्रेषित किए जाने के उपरांत भी विचारण की समाप्ति तक जारी रह सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, संबंधित व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा विवेचना को प्रभावित करने अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने, जिसमें साक्षियों को भयभीत करना भी सम्मिलित है, न्याय से पलायन की संभावना, जैसे देश छोड़कर चले जाने की संभावना आदि पर विचार करना होगा। यह भी प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान करने अथवा अस्वीकार करने पर विचार करते समय न्यायालय को सामान्यतः अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को आरोपित भूमिका तथा प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना अथवा न किया जाना न्यायालय के विवेक का विषय है।

6. अग्रिम जमानत से संबंधित विधि के स्थापित सिद्धांतों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण के समस्त अभिलिखित तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, तथा अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरे मत में यह प्रकरण आवेदक को विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु उपयुक्त है।

7. तदनुसार, आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. आवेदक- शोएब @ भूरा, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त है, इस आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर विचारण न्यायालय/विवेचक के समक्ष उपस्थित होगा तथा विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर इस शर्त के साथ रिहा किया जाएगा कि वह रु. 50,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करेगा, जिसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर स्वीकार किया जाएगा, साथ ही निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगा:-

(i) आवेदक विवेचक/संबंधित न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर उपस्थित होगा तथा विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित है, को किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय या पुलिस के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विमुख हो।

(iii) आवेदक बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत से बाहर नहीं जाएगा तथा यदि उसके पास यात्रा-पत्र है तो वह उसे संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के समक्ष जमा करेगा।

9. यदि उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो यह आवेदक को प्रदान की गई संरक्षण की समाप्ति का आधार माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

दिनांक 02.06.2026

के. के. पटेल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।